

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 634

प्रार्थीगण

बनाम

1 गोविन्दसिंह 2 गौरसिंह
पिसरान माला जातियान
पुरोहित निवासीयान लंगेरा
तहसील व जिला बाड़मेर।

अप्रार्थीगण

दिनांक - 12.02.25

1 हीरसिंह 2 दुर्गसिंह 3 करनसिंह पिसरान धिमनसिंह 4 जरावन्तसिंह 5
शैतानसिंह 6 रेवन्तसिंह पिसरान कुम्पा 7 पदमकसिंह 8 नीम्बसिंह 9 शंकरा
10 रूपसिंह पिसरान तिलोकसिंह 11 अमृतीदेवी पत्नी कुम्पा 12 भुरसिंह पुत्र
ताजुसिंह 13 रतनसिंह 14 गोपालसिंह पिसरान गौरसिंह 15 गोविन्दसिंह 16
खुशालसिंह 17 लाभुसिंह 18 निम्बसिंह पिसरान राणसिंह 19 छिन्दूसिंह 20
तारसिंह 21 गुमानसिंह पिसरान रूगसिंह 22 रागसिंह 23 हीरसिंह 24 नरसिंह
25 शंकरसिंह पिसरान सांवतसिंह 26 नेनसिंह 27 जरावन्तसिंह पुत्र
रणजीतसिंह 28 कमलाकंवर पत्नि गोरधनसिंह 29 गोपिकिशन 30 निरमा 31
माया 32 लोकेन्द्रसिंह 33 सवाईसिंह पिसरान गोरधनसिंह 34 भवरसिंह 35
अमोलखसिंह पिसरान धनसिंह 36 प्रभुसिंह पुत्र धनसिंह के का. मु.- 36/1
अनोपसिंह 36/2 लक्ष्मणसिंह 36/3 किशनसिंह 36/4 दौलतसिंह पिसरान
प्रभुसिंह 37 वागसिंह 38 हुकमसिंह पिसरान धनसिंह 39 कसुम्बी पत्नि
वगतसिंह 40 मागुसिंह 41 गणपतसिंह 42 दलपतसिंह 43 पदमसिंह पिसरान
वगतसिंह जातियान पुरोहित निवासीयान लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर 44
माधुसिंह पुत्र राणसिंह जाति पुरोहित, निवासी वालासर तहसील शिव जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बावत
राजस्व आवेदन संख्या :- 589/2024

दिनांक- 07/02/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लंगेरा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या
774/332 रकबा 2.7276 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने
हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व
प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी
फसल पर शीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बावत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षर
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 12.02.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 635-38

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण गोविन्दसिंह पुत्र माला वगैराह जातियान पुरोहित निवासीयान लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण हीरसिंह पुत्र चिमनसिंह वगैराह जातियान पुरोहित निवासीयान लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर